

दिनांक :-08.01.2018

प्रार्थी अभि.अनुपस्थि। वकील अप्रार्थी उपस्थित। कई बार आवाज लगवाई गई। प्रार्थी या उनके वकील उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

Web Copy - Not Official

(डॉ.एन.के.गुप्ता)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर